इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234]		भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 मई 2013—ज्येष्ठ 2, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ-1-6-2009-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65, 95, 96 धारा 138 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) तथा धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिनका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 में उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 116.—क में, उपनियम (1) में, खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दो) "ग्रामीण मार्ग" से अभिप्रेत है, ऐसा मार्ग जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से जोड़ता है, किन्तु जिसमें साधारण मार्ग का ऐसा भाग जो 25 प्रतिशत से अधिक अथवा 15 किलोमीटर से अधिक दोनों में से जो भी कम हो, सम्मिलित नहीं है.".

F-1-6-2009-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section, 65, 95, 96, clause (e) of sub-section (2) of Section 138 and Section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State of Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated the 18th December, 2012 as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules 116-A in sub-rule (1), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) "Rural route" means a route which connects a village or town to another village or town, but which does not include the portion of ordinary route exceeding 25 percent or exceeding 15 kms. whichever is less.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.